


110



अनुविधानी दतिया / १२२१ / २०१७ / २१६५

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर म० प्र०

प्र० क०

रामबाबू पुत्र स्व० श्री राजाराम यादव आयु 58 वर्ष निवासी पढापुरा दतिया म० प्र० कृषक मौजा चितुवां तहसील व जिला दतिया म० प्र० प्रार्थी / आवेदक

बनाम

- 1- शोभाराम पुत्र मोती आदिवासी (फौत) वारिस पत्नि श्रीमती अंगूरी देवी पत्नि स्व० श्री शोभाराम आदिवासी निवासी ग्राम चितुवां तहसील व जिला दतिया म० प्र०
- 2- हुकुम सिंह पुत्र राधेलाल यादव निवासीग्राम ऊँचिया तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म० प्र० प्रत्यर्थागण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता 1959 प्रश्नाधीन आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, दतिया के प्रकरण क्रमांक 11/अ-5/2003-04 शोभाराम बनाम न. प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 10-2-2004 के विरुद्ध

महोदय,

प्रार्थी/आवेदक की निम्न लिखित पुनरीक्षण याचिका माननीय मंडल के

समक्ष सादर प्रस्तुत है :-

श्री. ए. आर. दिवाकर को
द्वारा आज दि. 11-7-17 को
प्रस्तुत

जज ऑफ कोर्ट 11-7-17
न्यायालय म.प्र. ग्वालियर

(ए. आर. दिवाकर)
ज.
ए. आर. दिवाकर
एडवोकेट
न्यायालय जिना दतिया (म. प्र.)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकरी जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक- 11/अ-5/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 10/02/2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(आर0के0 जैन) 31/5/19 सदस्य</p>	